सं. 7/5/2012- पी एंड पी डब्लू (एफ)/ बी
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली - 110 003, दिनांक 26 अगस्त, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: नई परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) द्वारा शामिल केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को 'सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान' के लाभ का विस्तार - के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 1.1.2004 को या इसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों की पेंशन वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों के विभाग) के दिनांक 22.12.2003 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/7/2003-ईसीबी एंड पीआर के तहत अधिसूचित नई परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के रूप में जानी जाती है) द्वारा नियंत्रित की जाती है । निशक्त हो जाने के कारण सरकारी सेवा से उनकी सेवानिवृत्ति या सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत शामिल कर्मचारियों के संबंध में उपदान का भुगतान प्रोविजनल आधार पर किए जाने के लिए आदेश इस विभाग के दिनांक 5.5.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/41/2006-पी एंड पीडब्लू (ए) के तहत जारी किए गए थे ।

2. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के द्वारा शामिल सरकारी कर्मचारियों के संबंध में उपदान दिए जाने का मामला सरकार के विचाराधीन रहा है । यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत शामिल सरकारी कर्मचारी, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमवली, 1972 के अंतर्गत शामिल कर्मचारियों के लिए लागू नियम और शर्तों पर 'सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान' का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे ।

3. इस आदेश को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 29.07.2016 के आई.डी. नोट सं. 1(4)/ईवी/2006-।। के तहत जारी किया जाता है ।

4. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग से संबंधित व्यक्तियों पर लागू करने के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श के बाद इन आदेशो को जारी किया जाता है ।

5. यह आदेश उन केन्द्रीय सिविल सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा जो दिनांक 1.1.2004 को या इसके बाद सरकारी सेवा में आए हैं और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत शामिल हैं तथा यह उसी तिथि अर्थात दिनांक 1.1.2004 से प्रभावी होगा ।

ह. सिंह

(हरजीत सिंह)
निदेशक (पेंशन नीति)

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग ।

सं. 7/5/2012- पी एंड पी डब्लू (एफ)/ बी　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक 26 अगस्त, 2016

प्रतिलिपि :-

1. राष्ट्रपति सचिवालय
2. उपराष्ट्रपति सचिवालय
3. प्रधानमंत्री कार्यालय
4. लोक सभा सचिवालय
5. राज्य सभा सचिवालय
6. कैबिनेट सचिवालय
7. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
8.. भारत का सर्वोच्च न्यायालय
9. चुनाव आयोग
10 योजना आयोग
11. भारतीय नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक
12. सभी राज्यों के महालेखाकार
13 लेखा परीक्षा निदेशक, सेंट्रल, मधु इंड्स्ट्रियल एस्टेट, पी बी मार्ग, मुंबई
14. लेखा परीक्षा निदेशक, लेखा परीक्षा (केन्द्रीय) कलकत्ता
15. लेखा परीक्षा निदेशक, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली
16 लेखा परीक्षा निदेशक, सेंट्रल, मुंबई
17. लेखा परीक्षा निदेशक, वैज्ञानिक और वाणिज्यिक विभाग, मुंबई
18. वाणिज्य लेखा परीक्षा निदेशक, कार्य और विविध, नई दिल्ली
19. लेखा महानियंत्रक
20. लेखा निदेशालय, पीएआई सेक्शन, पणजी, गोवा
21. लेखा नियंत्रक, दिल्ली प्रशासन, विकास भवन, नई दिल्ली
22. रक्षा लेखा महानियंत्रक
23. रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद
24. रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना) मुंबई
25. रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) नई दिल्ली
26. रक्षा लेखा उप नियंत्रक (पीडी) नई दिल्ली
27. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त सचिव
28. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव
29. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय
30. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी और अनुभाग
31. एआईएस प्रभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
32. ई वी अनुभाग, व्यय विभाग
33. जे.सी.ए अनुभाग (100 अतिरिक्त प्रतियों के साथ) राष्ट्रीय जेसीएम परिषद के सदस्यों के बीच परिचालित करने के लिए
34. अवर सचिव (जी) पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (30 अतिरिक्त प्रतियों के साथ) स्कोवा के सदस्यों के बीच परिचालित करने के लिए
35. संसद ग्रंथालय
36. राष्ट्रीय पुस्तकालय।

(हरजीत सिंह)
निदेशक (पेंशन नीति)